

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या-5774/77-4-23/64 अपील/22
लखनऊ:दिनांक: 21 सितम्बर, 2023

मे0 एक्सप्रेस बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0 लि0 पुनरीक्षणकर्ता
बनाम

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण विपक्षीगण

यह पुनरीक्षण याचिका मे0 एक्सप्रेस बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0 लि0 द्वारा नोएडा में आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या GH-02, सेक्टर-77 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.02.2022 के विरुद्ध दिनांक 04.08.2022 को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपटित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 12 के अंतर्गत दाखिल की गई है। प्रकरण में नोएडा के पत्र दिनांक 18.08.2023 के द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 05.09.2023 को सुनवाई बैठक आयोजित की गई, जिसमें आभासी रूप से प्राधिकरण की ओर से श्री प्रभाष कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा एवं याची संस्था की ओर से श्री अक्षय मोहिले, अधिवक्ता द्वारा प्रतिभाग किया गया।

2. याची संस्था द्वारा अपनी पुनरीक्षण याचिका में यह कहा गया है कि आवंटन पत्र दिनांक 31.03.2010 के द्वारा उसे प्लॉट संख्या GH-02/A, सेक्टर-77 क्षेत्रफल 21700 वर्ग मीटर है, का आवंटन किया गया था। इस भूमि के सम्बन्ध में पुनरीक्षणकर्ता संस्था के पक्ष में लीज डीड दिनांक 31.03.2010 को निष्पादित हुई थी। इस लीज डीड के अनुसार इस भूखण्ड का कुल प्रीमियम रू0 45,00,79,700/- था, जिसके 10 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया था एवं अवशेष 90 प्रतिशत का भुगतान 24 महीने के मोरेटोरियम के उपरान्त 16 अर्द्धवार्षिक किश्तों में किया जाना था।

3. इस भूखण्ड के सम्बन्ध में नक्शे का अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया एवं प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.07.2011 के द्वारा नक्शा अनुमोदित भी कर दिया गया। निर्माण प्रारम्भ करने के उपरान्त कतिपय व्यक्तियों द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनमें यह निवेदित किया गया कि ओखला बर्ड सेंचुरी की 10 किमी. की परिधि के

अंदर सभी निर्माण कार्य रोक दिये जाएँ। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा OA संख्या 158/2013 में आदेश पारित करते हुए यह निर्देशित किया गया कि ओखला बर्ड सेंचुरी की 10 किमी0 की परिधि के अंदर सभी निर्माण कार्य बन्द कर दिए जाएँ। पुनः मा0 अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.09.2023 के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह निर्देशित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि 10 किमी0 की परिधि के अंदर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। अपने आदेश को संशोधित करते हुए मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 28.10.2013 को यह अंतरिम निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य जारी रख सकते हैं, किंतु उन्हें अधिभोग प्रमाण पत्र तब तक निर्गत नहीं किया जाएगा जब तक कि ओखला बर्ड सेंचुरी के सम्बन्ध में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आग्रिम आदेश न निर्गत कर दिए जाएँ। इसी क्रम में दिनांक 19.08.2015 को पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना निर्गत की गई, जिसमें ओखला बर्ड सेंचुरी के पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में 100 मीटर की परिधि के अंदर तथा उत्तर दिशा में 1.26 किमी0 की परिधि को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है।

4. इस संबंध में संस्था द्वारा यह निवेदित किया गया है कि इन सब में उसकी कोई गलती न होने के बावजूद भी उसे वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा है, क्योंकि आवंटियों द्वारा न केवल बुकिंग निरस्त की गई है, बल्कि इस परियोजना को जारी रखने के लिए उसे बैंक से लोन भी उस अवधि में नहीं मिल पाया है। संस्था द्वारा यह कहा गया है कि ऐसा होने से उसके निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है एवं उसे आवंटियों से ली गई धनराशि को वापस करना पड़ा है। साथ ही वापस की गई धनराशि पर ब्याज भी देना पड़ा है। इन सब कारणों से याचिकाकर्ता का कैश फ्लो प्रभावित हुआ है, जिस कारण उसके द्वारा अपेक्षित किशतों का भुगतान समय से नहीं किया जा सका है।

5. इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.01.2010 एवं दिनांक 29.11.2016 के द्वारा जीरो पीरियड पालिसी घोषित की गई है, किंतु पालिसी के प्राविधानों के अनुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के होते हुए भी दिनांक 14.08.2013 से दिनांक 19.08.2015 तक के सम्पूर्ण समय को जीरो पीरियड न घोषित करते हुए मात्र 76 दिन का जीरो पीरियड घोषित किया गया है।

6. याची संस्था द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि अधिकरण द्वारा अनुमोदित बिल्डिंग प्लान 2.75 FAR के अनुसार बनाया गया था। जब अतिरिक्त क्रय योग्य FAR की पालिसी की नीति निर्धारित की गयी तो संस्था द्वारा दिनांक 25.06.2015 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें यह निवेदित किया गया कि उसे अतिरिक्त क्रय योग्य FAR दिया जाए। इस प्रार्थना पत्र पर प्राधिकरण द्वारा

अनुमोदन दिनांक 29.11.2016 को प्रदान कर दिया गया। इसके क्रम में याचिकाकर्ता द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि का भुगतान तत्काल ही कर दिया गया था। अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.06.2017 के द्वारा यह निवेदित किया गया था कि अवशेष धनराशि उसके द्वारा मय ब्याज अधिभोग प्रमाण पत्र देते समय दे दी जाएगी।

7. अतिरिक्त क्रय योग्य FAR लेने के बाद संस्था द्वारा बिल्डिंग प्लान पुनरीक्षित किया गया एवं प्राधिकरण द्वारा इसका अनुमोदन दिनांक 15.11.2017 को प्रदान किया गया। इसी के साथ प्राधिकरण द्वारा टावर बी एवं सी का अधिभोग प्रमाण पत्र भी दिनांक 15.12.2017 को जारी कर दिया गया। संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस परियोजना में कुल 835 यूनिट्स के सापेक्ष कुल 715 यूनिट्स का अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।

8. प्राधिकरण द्वारा पारित पुनरीक्षित नक्शा के सम्बन्ध में एक आवंटी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 19614/2018 योजित की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2018 को निर्माण कार्य रोकने के आदेश पारित किये गये। अंततः यह रिट याचिका दिनांक 28.10.2021 को खारिज हुई एवं स्थगनादेश भी निरस्त हो पाया।

9. याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर याचिका संख्या 19614/2018 में प्राधिकरण द्वारा दायर प्रतिशपथ पत्र में यह कहा गया है कि संस्था द्वारा बिल्डिंग बायलाज का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है एवं जो नक्शे पारित किये गये हैं, उन्हीं के अनुसार निर्माण किया गया है, साथ ही साथ संस्था के द्वारा FAR एवं ground coverage के सिद्धान्तों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

10. संस्था द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.08.2018 के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति को अग्रिम समय के लिए विस्तार करने की मांग की। इस संबंध में कतिपय व्यक्तियों द्वारा मा0 एन.जी.टी. में एक वाद दाखिल किया गया, किन्तु मा0 एन.जी.टी. द्वारा इस वाद में कोई स्थगनादेश नहीं प्राप्त हुआ। अतः सम्बन्धित संस्था को पर्यावरणीय स्वीकृति विस्तारित न करने का कोई कारण नहीं था। संस्था को अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है।

11. संस्था द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विक्रम चटर्जी व अन्य बनाम भारत सरकार के केस में पारित आदेशों के क्रम में उसके देयों की भी पुर्नगणना की जाए।

12. अंत में याचिकाकर्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उसे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के क्रम में दिनांक 14.08.2013 से 19.08.2015 तक का जीरो पीरियड, तथा मा0 उच्च न्यायालय का स्थगनादेश होने के कारण दिनांक 30.05.2018 से दिनांक 28.10.2021 तक का जीरो पीरियड दिया जाए, साथ ही पर्यावरणीय अनापत्ति न जारी होने के कारण दिनांक 18.10.2021 से लेकर अभी तक का जीरो पीरियड एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विक्रम चटर्जी व अन्य बनाम भारत सरकार के केस में पारित आदेश का लाभ भी याची को दिया जाए।

13. प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आख्या में यह कहा गया है कि प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 31.07.2014 के द्वारा उक्त भूखण्ड के विरुद्ध अतिदेय धनराशि का पुर्ननिर्धारण किया गया था। प्राधिकरण द्वारा दूसरी बार पुनरीक्षणकर्ता के अनुरोध पर पत्र दिनांक 16.10.2015 के द्वारा अतिदेय धनराशि का पुर्ननिर्धारण किया गया एवं पुनः पुनरीक्षणकर्ता के पत्र दिनांक 08.08.2017 के क्रम में दिनांक 20.06.2017 तक की अतिदेय धनराशि का पुर्ननिर्धारण पत्र दिनांक 22.08.2017 के द्वारा किया गया।

14. प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.11.2015 को कुल स्वीकृत यूनिट 714 में से 438 यूनिट्स का अधिभोग प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। इसके पश्चात प्राधिकरण ने अपने पत्र दिनांक 15.12.2017 के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को कुल स्वीकृत 835 यूनिट्स में से 277 अतिरिक्त निर्मित यूनिट्स का अधिभोग प्रमाण पत्र पुनरीक्षणकर्ता को जारी किया जा चुका है।

15. प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 19614/2018 जिसमें प्राधिकरण द्वारा जारी पुनरीक्षित मानचित्र दिनांक 15.11.2017 को निरस्त करने की याचना की गई थी, में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.05.2018 को अंतरिम आदेश पारित कर पुनरीक्षणकर्ता को निर्माण कार्य करने से रोक दिया गया था। उक्त याचिका में मा0 न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा याचिका वापस लेने के कारण याचिका को दिनांक 28.10.2021 को निरस्त कर दिया गया था। प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को 3 टावर डी, ई, एफ का अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 03.11.2015 को तथा 3 टावर ए, बी, सी का अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 15.12.2017 को दिया जा चुका है।

16. प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 30.06.2023 तक निम्न मदों में धनराशि देय है:-

i. मूल धनराशि रूपये	31,37,84,895.00
ii. ब्याज की धनराशि रूपये	55,47,79,642.00

iii.	दण्डात्मक ब्याज की धनराशि रूपये	4,33,75,989.00
iv.	भू-ब्याज (30.06.2023 तक)	13,58,943.00
	कुल धनराशि का योग रूपये	91,32,99,469.00

मेरे द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की गई एवं पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया गया, निम्न तथ्य परिलक्षित होते हैं:-

- i. संस्था के पक्ष में कुल 21700 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन दिनांक 31.03.2010 को किया गया था एवं दिनांक 01.09.2010 को लीज डीड निष्पादित करते हुए भूखण्ड का कब्जा भी पुनरीक्षणकर्ता को प्रदान कर दिया गया था।
- ii. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा 10 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया था एवं अवशेष धनराशि की किश्तें निर्धारित कर दी गई थीं। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि देयों के भुगतान के सम्बन्ध में दिनांक 23.04.2019 तक रू0 46.68 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस धनराशि में आवंटन मूल्य, किश्तों के रूप में भुगतान की गई धनराशि, लीज रेंट एवं resheduled धनराशि का भुगतान किया गया है।
- iii. प्राधिकरण ने NGT के स्थगन आदेश के कारण आवंटी को पत्र दिनांक 06.03.2018 के द्वारा दिनांक 14.08.2013 से दिनांक 28.10.2013 तक की अवधि का जीरो पीरियड का लाभ दिया गया है तथा दिनांक 29.10.2013 से दिनांक 19.08.2015 तक की अवधि को दण्डात्मक ब्याज से अवमुक्त करने के बारे में आवंटी को सूचित किया गया था।
- iv. यह उल्लेखनीय है कि ओखला बर्ड सेंचुरी के सम्बन्ध में मा0 NGT द्वारा पारित आदेश से ओखला बर्ड सेंचुरी से 10 किमी0 की परिधि में आने वाली परियोजनाएं प्रभावित रही हैं। मा0 NGT के उपरोक्त आदेश का प्रभाव दिनांक 14.08.2013 से दिनांक 19.08.2015 तक रहा है। मा0 NGT द्वारा उपरोक्त आदेश OA नं0 158/2013 में पारित किया गया है। इसी विवाद में पारित आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्ध नगर को ओखला बर्ड सेंचुरी से 10 किमी0 की परिधि में सभी निर्माण कार्यों को बन्द करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
- v. ओखला बर्ड सेंचुरी का इको सेन्सिटिव जोन दिनांक 19.08.2015 को भारत सरकार द्वारा नोटिफाई किया गया, जिसमें इको सेंसिटिव जोन Okhla bird sanctuary के 100 मीटर से लेकर 1.27 किलोमीटर की परिधि तक नियत किया गया।

- vi. मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट सी नं०-4268 आफ 2023 एम.एस. ग्रेनाईट हिल प्रोपर्टीज प्रा०लि० बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 24.05.2023 में मा० उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव टू अपील संख्या-6154/2023 में पारित आदेश को निम्नवत् उद्धरित किया गया है:-

".. We have heard Mr Mukul Rohatgi, learned Senior Counsel for the petitioner

The Counsel would refer to the office order dated 29.11.2016 (Annexure P-10) which provides for a zero period benefit to the builders affected by the orders passed on restriction on construction and next submits that the view taken by the High Court in the impugned order for confining relief of zero period benefits only for about two months from 14.08.2013 to 28.10.2013 is incorrect. The submission is based on the order passed by the National Green Tribunal on 28.10.2013 (Annexure P-4), which has kept under suspension the environmental clearance granted earlier. As such, it is contended that the builder could not proceed with the construction. Further more, the builder is also forewarned about non-issuance of the completion certificate for the project in question.

Issue notice, returnable on 01.05.2023.

Dasti, in addition, is permitted. In the meantime, steps should not be taken towards cancellation of the lease granted on 19.10.2012, only for nonpayment of the demand with reference to the zero period claimed by the petitioner, i.e. from 14.08.2013 to 19.08.2015."

मा० उच्च न्यायालय ने यह आदेशित किया है कि:-

"Case for consideration is made out.

Let a counter affidavit be filed by learned Standing Counsel for respondent no. 1 and Shri Waseeq Uddin Ahmed, learned counsel for respondent no. 2 within a period of four weeks'.

Rejoinder affidavit, if any, may be filed within two weeks thereafter.

List thereafter.

Meanwhile, steps should not be taken towards cancellation of lease granted to the petitioner only for non payment of demand with reference to zero period claimed by the petitioner, i.e. from 14.08.2013 to 19.08.2015."

- vii. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह कहते हुए दिनांक 14.08.2013 से दिनांक 19.08.2015 तक जीरो पीरियड की मांग की थी कि उसका कार्य इस बीच प्रभावित रहा है जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
- viii. इससे यह स्पष्ट है कि मा0 एन.जी.टी. के समक्ष लम्बित उपरोक्त प्रकरण में जो आदेश पारित किए गए हैं, उसमें दिनांक 14.08.2013 से 19.08.2015 तक का जीरो पीरियड अनुमन्य किया जाना चाहिए। उपरोक्त की पुष्टि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट सी नं0-4268 आफ 2023 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2023 से तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. सी-6154 आफ 2023 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2023 से भी होती है। अतः पुनरीक्षणकर्ता को उपरोक्त अवधि में जीरो पीरियड का लाभ इन्टरेस्ट, पीनल इन्टरेस्ट lease rent तथा टाईम एक्सटेंशन चार्ज पर दिया जाना चाहिए।
- ix. यह स्पष्ट है कि इस परियोजना पर निर्माण कार्य मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 30.05.2018 से दिनांक 28.10.2021 तक बन्द रहा है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के अंतर्गत कुल 835 यूनिट्स निर्मित की जानी थी। प्राधिकरण द्वारा भी इस तथ्य से सहमति व्यक्त की गई है कि दिनांक 30.05.2018 से दिनांक 28.10.2021 तक मा0 उच्च न्यायालय का स्थगनादेश प्रभावी था। प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका में प्रति शपथ पत्र दायर कर इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य में कोई अनियमितता नहीं की गई है। अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रभावी स्थगनादेश के कारण दिनांक 30.05.2018 से दिनांक 28.10.2021 तक के जीरो पीरियड की देयता बनती है।

x. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना है कि उपरोक्त गणना के फलस्वरूप प्राधिकरण को भुगतान किए जा चुके टाईम एक्सटेंशन चार्जेज का समायोजन नहीं किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि जीरो पीरियड का लाभ जिस अवधि का प्राप्त होगा, उस अवधि में interest, penal interest, lease rent और time extension charges माफ किए जाएंगे तथा तदनुसार आगणन करते हुए installments shift किए जाएंगे। जितने अवधि का जीरो पीरियड अनुमन्य किया जा रहा है, उतनी अवधि परियोजना को पूर्ण करने के लिए lease deed के अनुसार स्वीकृत अवधि में बगैर किसी time extension charge के जोड़ी जाएगी।

xi. जहाँ तक परियोजनाकर्ता को revised environmental clearance न मिलने का प्रश्न है, तो उस सम्बन्ध में याचिकाकर्ता संस्था को समस्त तथ्यों से पर्यावरणीय संस्था को अवगत कराना चाहिए एवं तदनुसार पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करनी चाहिए। याचिकाकर्ता की इसी मांग पर प्राधिकरण स्तर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः प्राधिकरण प्रचलित नियमों के अनुसार इस मांग का निर्धारण करे।


xii. शासनादेश संख्या 1567/77-4-20-36एन/20 दिनांक 09.06.2020 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए NCR क्षेत्र के तीन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की समिति द्वारा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू ब्याज दरों को कम करने की संस्तुति की है। शासनादेश द्वारा यह परामर्श दिया गया कि प्राधिकरणों द्वारा ब्याज दरों में कमी करते हुए MCLR+1 ब्याज दर आगामी प्रभाव से लागू की जाए। इस शासनादेश का लाभ वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता को भी प्रदान किया जाना उचित होगा। तदनुसार इसके देयों की पुर्नगणना की जाए।

xiii. यह स्पष्ट है कि कोविड महामारी का प्रकोप समस्त संस्थाओं पर हुआ है। इसके संबंध में शासनादेश संख्या 2275/77-4-22-142एन/08टीसी दिनांक 20.07.2022 सभी प्राधिकरणों को जारी किया गया था। प्राधिकरण इस शासनादेश का लाभ भी पुनरीक्षणकर्ता को देकर देयकों की पुर्नगणना करे।

xiv. उपरोक्तानुसार देयों की पुर्नगणना कर ली जाए एवं आवंटी को यह निर्देशित किया जाए कि वह तीन माह के अंदर इस धनराशि का 25 प्रतिशत जमा करे। शेष धनराशि की 4 अर्द्धवार्षिक किश्तें निर्धारित कर दी जाएं।


- xv. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परियोजना पूरी होने की अवधि में वह अवधि जो मा0 न्यायालयों के आदेश से आच्छदित है, दिनांक 14.08.2013 से दिनांक 19.08.2015 एवं दिनांक 30.05.2018 से दिनांक 28.10.2021 तक की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाए। तदनुसार प्रभावी नक्शों एवं परियोजना पूर्ण होने की समय सीमा को भी विस्तारित कर दिया जाए।
- xvi. प्राधिकरण के पत्र दिनांक 23.02.2022 के विरुद्ध यह याचिका दिनांक 04.08.2022 को दाखिल की गई थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए याचिका दायर होने के दिनांक 04.08.2022 से लेकर याचिका निस्तारित होने के दिनांक तक दण्ड ब्याज लेने का औचित्य नहीं बनता है।
- xvii. उपरोक्तानुसार प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.02.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित पैरा (viii - xvi) के अवधारित बिंदुओं के अनुसार कार्यवाही करे और देयताओं की पुर्नगणना कर पुनरीक्षणकर्ता को सूचित करे।

तदनुसार एतद्वारा पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।


अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या: -5774/77-4-23 (1)/64 अपील/22 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।
2. मे0 एक्सप्रेस बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।